

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	अप्रार्थी	
राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी	रामीदेवी पत्नि चोखाराम जाति जाट सा. सबलपुरा तह. कुचामनसिटी	
किस्म मुकदमा प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957		
प्रार्थना-पत्र नम्बर <b>128/2023</b>		GCMS No. 2023/ <b>353</b>
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<b>10/07/2023</b>	<p>राजस्थान राज्य सरकार की ओर से जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी की ओर से प्रार्थना-पत्र धारा 131, 132 R.L.R.Act 1956 व नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रकरण का अलवोकन किया गया। ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल चारणवास तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 590 में जा रहे चालू रास्ते का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66, 86 राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात चालू नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, रिपोर्ट पटवारी हल्का परिशिष्ट " ए " सहमति पत्र, मौका पर्चा एवं अभिशंषा तहसीलदार कुचामनसिटी द्वारा की गई है। सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना-पत्र काबिल स्वीकार योग्य है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश पृथक से लिखाया जाकर संलग्न मिसल रहे। तहसीलदार कुचामनसिटी आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। मिसल फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी ( नागौर )</b></p>	

